

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क016 अ-82/19-20 / धनोरी / 12867
प्रति,

बैतूल दिनांक 3.12.19

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल।

विषय:- ग्राम धनोरी तहसील आठनेर के भू-अर्जन प्रकरण
में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने
बाबत।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा धनोरी तहसील आठनेर की घोघरी मध्यम परियोजना हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर एवं

पृ0क0-16 अ-82,2019-20 / धनोरी / 12867 भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
प्रतिलिपि:- बैतूल दिनांक 3.12.2019

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) भैसदेही को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
 - 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
 - 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
 - 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
 - 5- तहसीलदार आठनेर को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
 - 6- सम्बंधित ग्राम पंचायत धनोरी तहसील आठनेर को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- संलग्न-उपरोक्तानुसार



कलेक्टर एवं
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- 1- परियोजना का नाम :- घोघरी मध्यम परियोजना
- 2- लोक प्रयोजन :- सिंचाई हेतु
- 3- स्थल :- धनोरी
- 4- परियोजना का क्षेत्र :- घोघरी, ढोड़रामोहाड़, बारव्ही, गुढी, धनोरी टिपनापुर ग्राम
- 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया :- यह भूमि जलाशय के लिए अति उपयुक्त एवं कम से कम शासकीय व्यय आने तथा लगभग 9990 हे0 रकबा सिंचित होने के कारण इस जगह का चयन किया गया है।
- 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग
- 7- परियोजना निर्माण के चरण :- क्रमांक-2 बैतूल जिला बैतूल
- 8- परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे :- प्रथम एवं अंतिम
- 9- परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :- 314.719 हे0
- 10- भूमि का मूल्य प्रति हे0 सिंचित, 3,85,600/- असिंचित 1,92,800/-
ग्राम धनोरी
- 11- प्रभावित परिवारों की संख्या :- ग्राम धनोरी के 08 कृषक
- 12- परिसम्पतियां:- लोक सम्पति भूमि अन्य निरंक
निजी सम्पति भूमि 3.305 हे0 भवन निरंक
- 13- विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :- ग्राम धनोरी परिवारों की संख्या निरंक
- 14- सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण :- निष्कर्ष में उल्लेखित है।
(ख) समाघातों की संकेतक सूची निरंक
- 15- विकल्प जिन पर विचार किया गया
(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? लोक प्रयोजन हेतु
(ख) यदि नहीं - तो क्यों ? निरंक

निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) परिसम्पतियों के मुआवजे के सम्बंध में प्रचलित विधि/नियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
- (7) पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक विभाग वनीकरण हेतु आवश्यक उपाय करेंगे।

(सदस्य)

(बी डी कोसे)

दिनांक

११/२/१९

(सदस्य)

उपवन मंडलाधिकारी, मुलताई

(सदस्य)

अविध जलसंसाधन

बी.पी.डी.

(अध्यक्ष)

डिप्टी कलेक्टर बैतूल

कितिले गले